# न्यायालय-सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी आशा कुमारी, जिला न्यायाधीश

विविध आपराधिक प्रकरण 210/**2026**

दिलीप नाथ पिता बद्रीनाथ निवासी गादोला थाना रठांजना -- प्रार्थी

-बनाम-

राजस्थान राज्य --अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-**483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-84/2026 पुलिस थाना रठांजना

उपस्थिति-
01-श्री कमलसिंह गुर्जर- अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से
02-श्री तरूणदास बैरागी-लोक अभियोजक,राज्य की ओर से

आ दे श दिनांक-**30.06.2026**

01. प्रार्थी की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश हुआ, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक-22.05.2026 को परिवादीया ने परिवाद पेश किया कि दिनांक-19.05.2026 को सुबह साढे ग्यारह बजे वह अपने घर पर अकेली थी कि दिलीप घर में घुस आया और अकेली होने, मजे लेकर रहने की कह कर गर्दन पर चाकू लगा कर शोर शराब करने पर गला काटने की कह पकड कर नीचे गिरा कर जबरन इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया और जब वह सुरेश को फोन लगाने लगी तो उससे फोन छीन कर जमीन पर फैंक दिया जिससे फोन टूट गया फिर उसके चिल्लाने पर सुरेश व अरमान आ गये तो मुलजिम वहां से भाग गया। इस पर पुलिस थाना रठांजना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-84/2026 दर्जकर तफतीश प्रारम्भ की गई। दौराने तफतीश प्रार्थी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ के न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया, जिस पर जमानत का यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है-

| प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या | पुलिस थाने का नाम | प्रथम सूचना रिपोर्ट किस अपराध में संस्थित हुई। | वर्तमान में मामला किस अपराध के तहत अन्वेषणाधीन है। | प्रार्थी की गिरफ्तारी की दिनांक | प्रार्थी के विरूद्ध अन्य लम्बित/ सजायाब प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 84/2026 | रठांजना | 333,64(1), 351(2), (3) बीएनएस | 333,64(1), 351(2), (3) बीएनएस | 09.06.2026 | -- |

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी व परिवादीया 17 वर्ष तक "लिव-ईन" में रह रहे थे, लेकिन प्रार्थी बीमार हो गया तो परिवादीया ने अन्य से कोर्ट मैरिज कर ली और प्रार्थी से तीन लाख रूपये की मांग की, जो नहीं देने पर दबाव बनाने के लिये झूंठा मामला दर्ज करवाया है। तर्क दिया कि इसी दिनांक को मुलजिम द्वारा आकर केवल लडाई झगडा व गाली गलौच करने की रिपोर्ट परिवादीया ने पुलिस थाने में दी थी जिसमें प्रार्थी को धारा-126,170 बीएनएसएस के तहत जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है, लेकिन तीन लाख रूपये की मांग का नाजायज दबाव बनाने के लिये परिवाद पेश कर पुनः यह झूंठा मामला दर्ज करवा दिया

है। प्राथी से कोई तफतीश व बरामदगी शेष नहीं है। अभी प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। अतः जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया।

05. मैने तर्कों पर मनन किया एवं दोनों केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रथम सूचना के अनुसार दिनांक-19.05.2026 को प्रार्थी द्वारा घर में घुस कर चाकू लगा कर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करना बताया जाता है, जिसकी ताईद परिवादीया ने अपने धारा-183 बीएनएसएस के बयान में भी की है।

06. प्रार्थी की ओर से इसी घटना के सम्बन्ध में परिवादीया की ओर से थाना रठांजना में पेश की गई रिपोर्ट व उसमें हुई कार्यवाही के दस्तावेज पेश किये गये है। रिपोर्ट के अवलोकन से दिनांक-19.05.2026 को दिलीप द्वारा घर में घुस कर गाली गलौच कर मारने की धमकी देकर मारपीट की कोशिश करना व हल्ला करने पर डर के मारे वहां से चले जाना उल्लेखित किया। उक्त रिपोर्ट की जांच के दौरान दर्ज हुए बयान में परिवादीया ने दिनांक-19.05.2026 को प्रातः ग्यारह बजे दिलीप का घर आकर मां बहिन की गालियां देते हुए तीन लाख रूपये किस बात के मांगती है, उसके पास कोई रूपये नहीं है और वह एक भी रूपया नहीं देगा, कहते हुए हाथापाई धक्का मुक्की करना बताया है, जिस जांच में सुरेश के भी बयान लेखबद्ध हुए है। बाद जांच प्रार्थी के खिलाफ धारा-126,170 बीएनएसएस के तहत दिनांक-20.05.2026 को गिरफ्तार कर पेश करने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रतापगढ द्वारा इसी दिनांक को जमानत पर रिहा किया जाना बताया जाता है।

07. प्रार्थी से कोई तफतीश व बरामदगी शेष नहीं है। अभी प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण लम्बित हो,ऐसा दर्शित नहीं किया गया है। अतः इस स्टेज पर गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना समस्त तथ्यों व उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को जमानत पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है।

आ दे श

08. परिणामतः प्रार्थी दिलीप पिता बद्रीनाथ निवासी गादोला थाना रठांजना द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश हैं कि यदि प्रार्थी पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें एवं पचास हजार रूपये का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ की सन्तुष्टि का प्रकरण में विचारण पूर्ण होने तक न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहने के आशय का पेश कर तस्दीक करा दें, तो प्रार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-84/2026 पुलिस थाना रठांजना में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

( आशा कुमारी )
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़

09. आदेश आज दिनांक-30.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( आशा कुमारी )
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़

ALPESH KUMAR NAGAR
Digitally signed by ALPESH KUMAR NAGAR
Date: 2026.07.03 16:42:22 +0530